परिणामी बजट वर्ष 2019-20

विभाग- समाज कल्याण विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक,समाज कल्याण

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2019-20	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
1	सुखद सहारा योजना	गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 18 से 39 वर्ष आयु वर्ग के विधवा तथा 18 वर्ष या अधिक आयु के परित्यक्ता महिलाओं को राशि 350 प्रतिमाह पेंशन भुगतान की जाती है।	1041600	लगभग 242179 हितग्राही लाभान्वित होंगे ।	
2	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	राज्य शासन द्वारा गरीबी रेखा के नाचे जीवन यापन करने वाले परिवार के निम्नलिखित श्रेणी व्यक्तियों को राशि रू. 350 पतिमाह पेंशन दी जाती है:- (1) 6-17 आयु वर्ष के नि:शक्त बच्चे (जिसमें 6-14 आयु वर्ष के बच्चे अध्ययनरत हो) (2) 18 वर्ष या अधिक आयु के सामान्य नि:शक्त व्यक्ति एवं बौने व्यक्ति	3655320	लगभग 517838 हितग्राही लाभान्वित होंगे ।	
3	मुख्यमंत्री पेंशन योजना	मुख्यमंत्री पेंशन योजना हेतु ग्रामीण क्षेत्र के लिए एस.ई.सी.सी.-2011 का स्वत: शामील सूचकांक तथा वचन सूचकांक के कम से कम एक वचन सूचकांक के साथ वाले परिवार को शमिल करते हुए वृद्धजनों, विधवा/परित्यक्त महिलाओं के लिए राशि रू. 350/- प्रतिमाह पेंशन दी जाती है।	1000000	293943 हितग्राही लाभान्वित होंगे	
4	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	योजना अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर परिवार के वारिस को रूपये 20000/- एक मुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ।	272500	लगभग 10250 हितग्राही लाभान्वित होंगे	

परिणामी बजट वर्ष 2019–20

विभाग– समाज कल्याण विभाग

विभागाध्यक्ष– संचालक,समाज कल्याण

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2019–20	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
5	राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	योजना अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले 60–79 आयु वाले वृद्धों के लिए रूपये 350 प्रतिमाह तथा 80 वर्ष या अधिक आ वाले के लिए रूपये 650 प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदाय	1868860	60–79 वर्ष के 598577 हितग्राही तथा 80 वर्ष या अधिक आयु के 64870 हितग्राही, इस प्रकार कुल 663447 हितग्राही लाभान्वित होंगे ।	
6	इंदिरागांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले 40 79 वर्ष तक के आयु वाली विधवा को रू. 350/–प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदाय	672000	172803 हितग्राही लाभान्वित होंगे ।	
7	इंदिरागांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन	गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले 18 79 वर्ष तक के आयु वाले गंभीर एवं बहु विकलांग व्यक्ति के लिये रू. 500/–प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदाय	151810	32096 हितग्राही लाभान्वित होंगे ।	
8	नगरीय निकाय क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का बायोमेट्रीक से भुगता हेतु अनुदान	पेंशन योजनाओं की पेंशन की राशि के भुगतान पारदर्शिता लाने एवं समय में भुगतान सुनिश्चित करना ।	10000	नगर निगम राजनांदगांव, धमतरी, रायगढ़, भिलाई, बिलासपुर के पेंशन हितग्राहियों को पेंशन राशि भुगता बायोमेट्रीक पद्धति से करने हेतु बैंकों को दिये जाने वाले सेवा शुल्क ।	
9	विकलांगों तथा अपंगों की सहायता के लिए योजना	योजना अंतर्गत नि:शक्त व्यक्तियों को कृत्रिम अं उपकरण प्रदाय करना	14200	1750 नि:शक्त व्यक्तियों को कृत्रिम अंग एवं उपकर उपलब्ध कराना ।	
10	बिलासपुर में जिला पुनर्वास केन्द्र की स्थापना	नि:शक्त व्यक्तियों को प्रशिक्षण एवं पुनर्वास	22533	नि:शक्त व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना एवं पुनर्वास	
11	फिजिकल रिफरेल रिहबलीटेशन सेंटर की माना में स्थापना	अत्याधुनिक कृत्रिम अंग निर्माण केन्द्र की स्थापना	13755	500 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का प्रावधान है ।	

परिणामी बजट वर्ष 2019-20

विभाग- समाज कल्याण विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक,समाज कल्याण

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2019-20	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
12	विश्व विकलांग दिवस	विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर विकलांगों को प्रोत्साहित करने हेतु व्यक्तियों/संस्थाओं को पुरस्कार दिये जाने का प्रावधान	1400	सर्वोत्तम नि:शक्त व्यक्ति 5001/- सर्वोत्तम नियोक्ता (नि:शक्त वयक्तियों के संदर्भ में रूपये 10000/-) सर्वोत्तम स्वैच्छिक संस्था रूपये 5000/- सर्वोत्तम जिला-शिल्ड	
13	प्रमस्तिष्क अंगाघात नि:शक्तजनों हेतु उपचार एवं पुनर्वास संस्थान	प्रमस्तिष्क अंगाघात (सेलेब्रल पॉलिसी के नि:शक्तजनों को उपचार एवं पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराना)	9519	241 हितग्राही लाभान्वित होंगे ।	
14	प्रमाशक गृह की स्थापना	वृद्धावस्था के कारण गंभीर बीमारी (जैसे-डिमेशिया) एवं विस्तर पर पड़े व्यक्ति/अंतिम अवस्था में पहुँचे व्यक्तियों के देखभाल के लिए 50 विस्तर वाले प्रमाशक देखरेख गृह की व्यवस्था	4500	50 विस्तर वाले प्रमाशक गृह रायपुर में स्थापित करने का प्रस्ताव है ।	
15	नि:शक्त सामर्थ्य विकास	नि:शक्त सामर्थ्य विकास अंतर्गत शारिरिक रूप र नि:शक्त व्यक्ति को कृत्रिम अंग, सहायक उपकरण एवं ट्रायसायकल नि:शुल्क प्रदाय किया जाता है	30000	1398 हितग्राही लाभान्वित होंगे ।	
16	स्थानीय स्तर समिति को सहायता	राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत जिलों में स्थानीय स्तर पर लोकल कमेटी का गठन	350	जिलों को रू. 20000 का अंशदान दिया जाता है	
17	दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थो के लिए शालाएं तथा संस्थाएं	बौद्धिक मंदता वाली बालिकाओं के लिए सरगुजा, नारायणपुर एवं बालकों हेतु बीजापुर, दृष्टि एवं श्रवण बाधित बालक/ बालिकाओं के लिए जशपु तथा श्रवण बाधित बालक/बालिकाओं के लिए	236559		

परिणामी बजट वर्ष 2019-20

विभाग- समाज कल्याण विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक,समाज कल्याण

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2019-20	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
		विशेष विद्यालय जशपुर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव, कोरिया, महासमुन्द एवं कांकेर में बच्चों को शिक्षा के माध्यम से स्वावलंबी बनाना।		1000 बच्चों के लिए शिक्षण-प्रशिक्षण की व्यवस्था	
18	किशोर कल्याण निधि का गठन	किशोर न्याय अधि. 2000 के तहत किशोर कल्याण निधि से किशोरों के कल्याण, शिक्षण, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना	1000	100 किशोरों को पुनर्वास हेतु (प्रति किशोर 10000/- आर्थिक सहायता देना ।	
19	राष्ट्रीय पुनर्वास कार्यक्रम नि:शक्तजन	ग्रामीण क्षेत्र के नि:शक्त व्यक्तियों को उनके निवास तक सेवाएं व संसाधन उपलब्ध कराना	21120	1390 कृत्रिम अंग उपकरण (व्हील चेयर, ट्रायसकल व वितरण) 4103 नि:शक्तजन को सामाजिक सुरक्षा पेंशन 875 नि:शक्तजन को छात्रवृत्ति स्वावलंबन केन्द्र की स्थापना	
20	समाज कल्याण महिला बाल कल्याण संस्थाओं को सहायता अनुदान	देखरेख की अपेक्षा रखने वाले बच्चों निराश्रित महिलाओं एवं भिक्षुओं का संरक्षण, शिक्षण, प्रशिक्षण, उपचार एवं पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है।	7000	प्रदेश के 250 देखरेख की आवश्यकता वालें बच्चों, निराश्रित महिलाओं एवं भिक्षुओं को लाभंवित करना।	
21	अंध, मूक एवं बधिर शालाओं को अनुदान (स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान)	नि:शक्त कल्याण के क्षेत्र में संचालित स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान जिसमें उनके शिक्षण प्रशिक्ष आवास व पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है ।	15000	30 स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान । अत:वासी बच्चों के भरण-पोषण हेतु रूपये 600/-प्रति हितग्राही प्रतिमाह भवन किराया कुल व्यय का 70 प्रतिशत एवं कार्याल व्यय पर अधिकतम रूपये 2000 कर्मचारियों का वेतन/मानदेय	

परिणामी बजट वर्ष 2019-20

विभाग- समाज कल्याण विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक,समाज कल्याण

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2019-20	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
22	उत्थान सब्सिडी योजना	नि:शक्त जनों को ऋण पर सब्सिडी	1400	100 हितग्राही को लाभान्वित करने का प्रावधान है ।	
23	वरिष्ठ नागरिक सहायता योजना	वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान, प्रचार-प्रसार एवं वृद्धाश्रम बहुसेवा केंद्र संचालन	34500	500 वरिष्ठ नागरिको को सम्मान, संरक्षण एवं सुरक्षा	
24	अंध, मूक और बधिरों के लिए शाल (भवन निर्माण)	नि:शक्त कल्याण के क्षेत्र में संचालित शासकीय संस्था के बाधा रहित भवन निर्माण	3000	बाधा रहित भवन तथा उद्यान निर्माण	
25	तृतीय लिंग समुदाय के पुनर्वास हेतु कार्यक्रम	तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड, पृथक से अधिनियम, वास्तविक आकड़ों के संबंध सर्वे, जनजागरूकता हेतु प्रचार-प्रसार, सम्मेलन, कार्यशाला इत्यादि कार किये जायेगें ।	6000	**1.** छत्तीसगढ़ तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड का गठन **2.** राज्य में तृतीय लिंग समुदाय के वास्तविक आकड़ों व संबंध में सर्वेक्षण । **3.** छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से समन्वय **4.** छत्तीसगढ़ राज्य में तृतीय लिंग समुदाय के प्रति जनजागरण हेतु प्रचार-प्रसार	
26	बुजुर्गो को संरक्षण	बुजुर्गो के लिए माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 का सुदृढ़ीकरण एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए केन्द्रों की स्थापना	7500	100 हितग्राही को लाभान्वित करने का प्रावधान है ।	
27	नि:शक्तता स्वाभिमान एवं संबंल याज	नि:शक्त व्यक्तियों के लिए चिकित्सा कौशल उन्नयन, उद्यमिता विकास एवं दीर्घ कालिक आर्थिक अधिकारिता विकसित करने हेतु आर्थिक सहायता	12000	100 हितग्राही को लाभान्वित करने का प्रावधान है ।	
28	अंधमूक बधिरों को वृत्तियां	नि:शक्त बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान कर उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करना।	18200	14000 विकलांग छात्र/छात्राओं को प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान करना	

परिणामी बजट वर्ष 2019-20

विभाग- समाज कल्याण विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक,समाज कल्याण

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2019-20	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
29	निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना	निःशक्त व्यक्तियों को शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान, बौद्धिक विकास को बढ़ावा, सामाजिक पुनर्वास आर्थिक स्वावलंबन को विकसि करना	3000	माध्यमिक परीक्षा (दसवीं) सर्वाधिक अंक 5000 एकमुः स्नातक/स्नातकोत्तर (कला वाणिज्य विज्ञान) न्युनतम 5(प्रतिशत अंक 6000 एकमुश्त चिकित्सकीय/तकनीकी/व्यवसायिक 50 प्रतिशत अंक 12000 एकमुश्त प्रदान की जाती है	
30	निःशक्तजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना	निःशक्त सिविल प्रोत्साहन योजना का कियान्वयन	3000	निःशक्तजन सिविल सेवा के क्षेत्र में प्रेरित करने आर्थिक सहयोग प्रदान करना तथा समाज की मुख्यधार में जोड़कर उनका सामाजिक पुनर्वास करना	
31	निःशक्तजनों का प्रशिक्षण एवं ऑनलाईन पंजीयन	निःशक्तजनों का शतप्रतिशत प्रमाणीकरण, पात्र निःशक्तजनों का ऑनलाईन पंजीकरण यूनिक आई.डी. नम्बर प्रदान कर डाटाबेस तैयार करना एवं पर्यवेक्षण	20000	शासन द्वारा लाभान्वित योजनाओं के संदर्भ में एस.एम.एस के माध्यम से आटो अलर्ट प्रेषित किया जाना	
32	निःशक्त विद्यार्थी के लिये छात्रगृह योजना	निःशक्त व्यक्तियों को उच्च शिक्षा हेतु सहायता एवं अध्ययन का अवसर	3500	40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्तजन शिक्षण संस्थन से आवेदक का मूल निवास की दूरी 20 कि.मी. से अधिक हो	
33	निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना	निःशक्त व्यक्तियों के सामाजिक पुनर्वास एवं उन स्वालंबी बनाने हेतु निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना 1 अप्रैल 2005 से लागू की गई है	40000	18 वर्ष से 45 वर्ष तक महिलाएं 21 से 45 वर्ष पुरूष(निःशक्त) के विवाह हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान करना ।	
34	भारतीय कृष्ठ निवारक संघ संस्था के अनुदान	भारतीय कुष्ठ निवारण संघ जांजगीर में स्वैच्छिक संस्था संचालित	1400	कुष्ठ मुक्त व्यक्तियों का पुनर्वास	
35	घरौंदा	राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य में 18 वर्ष से अधिक आयु के	25000		

परिणामी बजट वर्ष 2019-20

विभाग- समाज कल्याण विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक,समाज कल्याण

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2019-20	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
		नि:शक्त व्यक्तियों को जीवन पर्यन्त आश्रय प्रदा करने हेतु घरौंदा योजना प्रारंभ किया गया है		4 संभाग में नि:शुल्क आवासीय सुविधा प्रदान करना	
36	नशाबंदी कार्यक्रम	प्रदेश में नशामुक्ति के पक्ष में मादक द्रव्य एवं नशीले पदार्थो के दुष्परिणामों के विरूद्ध जागरूगत विकसित किया जाना	8157	रैली, पोस्टर, हॉडिग्स, नाटक, गीत, नृत्य, प्रदर्शनी तथा शासकीय/अशासकीय कलाकारों सांस्कृतिक कार्यक्रम	
37	छत्तीसगढ़ योग आयोग	योग आयोग नियम-2017 के नियम 2(23) के अनुसार अपने उद्देश्य की पूर्ती के लिए संभाग, जिले, वि.ख. एवं नगर पंचायत स्तर पर आवश्यक उपाय एवं कदम उठाएगा ।	30000	छत्तीसगढ़ राज्य के जिलावार, विकासखण्डवार एवं सभी 10976 ग्रामपंचायतों में नियमित योगाभ्यास कराया जाना	
38	जिला नि:शक्त पुनर्वास केन्द्र	नि:शक्त व्यक्तियों को पुनर्वास सेवाएं एवं संसाधन उपलब्ध कराना	4000	09 जिला नि:शक्त केनद्र स्थापित	